न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 48/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 फूलाराम जाट पुत्र मोडाराम जाति जाट निवासी नया गांव भादुओ की ढाणी, अलाय तहसील व जिला नागौर। फर्मः–मैसर्स मुरली ट्रेडर्स, भैरूजी मंदिर रोड, बस स्टेण्ड, अलाय तहसील व जिला नागौर। 2 बाबूलाल जांगू पुत्र फूलाराम जाति जाट निवासी नया गांव भादुओ की ढाणी, अलाय तहसील व जिला नागौर। फर्मः–मैसर्स मुरली ट्रेडर्स, भैरूजी मंदिर रोड, बस स्टेण्ड, अलाय तहसील व जिला नागौर। 3 गोविन्दलाल सारडा पुत्र सत्यनारायण निवासी बाहेतियो की गली, नागौर तहसील व जिला नागौर। फर्मः– मैसर्स नंदकिशोर सारडा एण्ड कम्पनी 44 एम. जेठा मार्केट नागौर। 4 अंकित राठी पुत्र मोहनलाल राठी निवासी झालरा बेरा, दूसरी पोल, महामंदिर, जोधपुर 342006 फर्मः– मैसर्स सांई मसाला उद्योग प्लाट नं. 67 शिक्षक नगर, पी.एस.गार्डन गली, जोधपुर 342304

दिनांक :07.07.2022

आदेश

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 06-08-2021 को मैसर्स मुरली ट्रेडर्स, भैरूजी मंदिर रोड, बस स्टेण्ड, अलाय तहसील व जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (ऐवरी डे ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1567 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/265/एक्ट/2021/158 दिनांक 17.08.2021 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना पदार्थ हल्दी पाउडर (ऐवरी डे ब्राण्ड) मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण फूलाराम जाट पुत्र मोडाराम जाति जाट निवासी नया गांव भादुओ की ढाणी, अलाय तहसील व जिला नागौर, बाबूलाल जांगू पुत्र फूलाराम जाति जाट निवासी नया गांव भादुओ की ढाणी, अलाय तहसील व जिला नागौर, गोविन्दलाल सारडा पुत्र सत्यनारायण निवासी बाहेतियो की गली, नागौर तहसील व जिला नागौर तथा अंकित राठी पुत्र मोहनलाल राठी निवासी झालरा बेरा, दूसरी पोल, महामंदिर, जोधपुर 342006 ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 05-10-2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सख्या 01 व 02 की तरफ से श्री जगदीश जांगू अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सख्या 03 व 04 की ओर से श्री राजेश चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 01.07.2022 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने अपने जवाब में बताया कि हमारी दुकान से हल्दी पाउडर का सैम्पल लिया जो जांच में मिसब्राण्ड होना पाया गया, उक्त हल्दी पाउडर हमारे द्वारा मैसर्स नंद किशोर सारडा एण्ड कम्पनी नागौर द्वारा खरीदा गया। इसमें हमारी ओर से कोई मिलावट नहीं की गई। जिस अवस्था में हमने खरीदा उसी अवस्था में वेच दिया। भविष्य में हल्दी पाउडर को खरीदते व बेचते समय गुणवता को ध्यान में रखकर बेचेंगे। अप्रार्थी संख्या 03 ने अपने जवाव में वताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मैसर्स मुरली ट्रेडर्स भेरूजी मन्दिर रोड बस स्टेण्ड अलाय की दुकान से हल्दी पाउडर का सैम्पल लिया जो जांच में मिसब्राण्ड होना पाया गया उक्त हल्दी पाउडर मेरे द्वारा विक्रय किया गया था, जो मैंने मैसर्स सांई मसाला उद्योग जोधपुर से खरीदा था। इसमें मेरी ओर से कोई मिलावट नहीं कि गई। जिस अवस्था में मैंने खरीदा उसी अवस्था में बेच दिया। भविष्य में हल्दी पाउडर को खरीदते व वेचते समय गुणवता को ध्यान में रखूंगा। अप्रार्थी संख्या 04 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मैसर्स मुरली ट्रेडर्स, भेरूजी मन्दिर रोड बस स्टेण्ड अलाय की दुकान से हल्दी पाउडर का सैम्पल लिया जो जांच में मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त हल्दी पाउडर मेरे द्वारा मैसर्स नंदकिशोर सारडा एण्ड कम्पनी नागौर को वेचा गया। अव मैं मेरी गलती को सुधार लूंगा और मिसब्राण्ड हल्दी पाउडर नहीं बेचूंगा। लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त जुर्म की पुनरावृति कभी भविष्य में नहीं की जाएगी तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त, जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/265/एक्ट/2021/158 दिनांक 17.08.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (ऐवरी डे ब्राण्ड) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 फूलाराम जाट पुत्र मोडाराम जाति जाट निवासी नया गांव भादुओ की ढाणी, अलाय तहसील व जिला नागौर तथा अप्रार्थीगण संख्या 02 बाबूलाल जांगू पुत्र फूलाराम जाति जाट निवासी नया गांव भादुओ की ढाणी, अलाय तहसील व जिला नागौर पर संयुक्त रूप से रूपये 20,000/— अक्षरे बीस हजार रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 03 गोविन्दलाल सारडा पुत्र सत्यनारायण निवासी बाहेतियो की गली, नागौर तहसील व जिला नागौर, रूपये 10,000/— अक्षरे दस हजार रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 04 अंकित राठी पुत्र मोहनलाल राठी निवासी झालरा बेरा, दूसरी पोल, महामंदिर, जोधपुर 342006 पर रूपये 10,000/— अक्षरे दस हजार रूपये, कुल 40000/— अक्षरे चालीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)